"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 मई 2016—ज्येष्ठ 3, शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-127/खाद्य/2011/29-2.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली लोक सेवा संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-127/2011/29, दिनांक 16 दिसंबर, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में :-

प्रथम तालिका के सरल क्रमांक 05, 06 एवं 07 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात् :-

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5	कार्यालय नगरीय निकाय	चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत जारी राशनकार्ड हेतु (शहरी क्षेत्र)	30 दिवस	नगरीय निकाय के आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	नगरीय निकाय के आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	कार्यालय ग्राम पंचायत	चिन्हांकित अन्त्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत जारी राशनकार्ड हेतु (ग्रामीण क्षेत्र)	30 दिवस	सचिव, ग्राम पंचायत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .